(10)

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 श्रावण 1931 (शo)

(सं0 पटना 386) पटना, सोमवार, 27 जुलाई 2009

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

24 जुलाई 2009

एस0ओ0 149 दिनांक 27 जुलाई 2009—भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल श्रम संसाधन विभाग के श्रम पक्ष में ग्रामीण श्रमिक कल्याण केन्द्रों के समाज आयोजक के पदों पर भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तों के हेतु निम्नलिखित नियमावली बनानी है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।—(*i*) यह नियमावली '' बिहार ग्रामीण श्रमिक कल्याण केन्द्र समाज आयोजक (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2009'' कही जा सकेगी।

(*ii*) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(*iii*) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएँ।—जब-तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -(*i*) ''सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार ;

(*ii*) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है श्रमायुक्त, बिहार ;

(*iii*) ''विभाग'' से अभिप्रेत है श्रम संसाधन विभाग, बिहार;

(*iv*) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

(*v*) ''संवर्ग''से अभिप्रेत है श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन समाज आयोजक संवर्ग; तथा

(*vi*) ''संवर्ग नियंत्री प्राधिकार'' से अभिप्रेत है श्रमायुक्त, बिहार, पटना ।

3. संवर्ग का गठन।—(*i*) यह संवर्ग पर्यवेक्षकीय तथा राज्य स्तरीय होगा ।

(*ii*) इस संवर्ग के सदस्य समाज आयोजक के पदों पर नियुक्ति व्यक्ति होगें, जो श्रमायुक्त बिहार के नियंत्रणाधीन ग्रामीण श्रमिक कल्याण केन्द्रों में होंगे ।

टिप्पणी:- इस नियमावली के लागू होने के पूर्व से समाज आयोजक के पद पर नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः इस संवर्ग में शामिल समझे जाएँगे ।

4. प्राधिकृत बल।—सरकार, समाज आयोजक के संवर्ग में पदों की प्राधिकृत संख्या निर्धारित कर सकेगी तथा इसके अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद भी सृजित कर सकेगी, अथवा किसी पद को स्थगित या रिक्त रख सकेगी, जिसके कारण छँटनीग्रस्त होने पर इस संवर्ग का कोई भी सदस्य क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा ।

5. आरक्षण।—संवर्ग में नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आरक्षण नीति / रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा ।

6. भर्त्ती।—(*i*) नियुक्ति प्राधिकार द्वारा, आयोग द्वारा आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्राप्त अनुशंसा पर समाज आयोजक के पद पर सीधी भर्त्ती से नियुक्त की जाएगी । प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण, आयोग से परामर्श कर, संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा किया जायेगा ।

(*ii*) आयोग की अनुशंसा की वैधता अनुशंसा की तिथि से एक वर्ष तक होगी ।

7. अर्हता।—किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री । न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय ।

8. परिवीक्षा अवधि।—समाज आयोजक कोटि में सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्त कर्मी की परिवीक्षा अवधि सामान्यतः नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की होगी । परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं होने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा परिवीक्षा अवधि अभिलिखित कारणों से एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी, परन्तु यह कि परिवीक्षा की कुल अवधि तीन वर्षों से अधिक की नहीं होगी । विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषप्रद नहीं होने पर सेवामुक्त किया जा सकेगा, जिसके लिए किसी प्रकार के प्रतिकार का दावा नहीं किया जा सकेगा ।

9. प्रशिक्षण।—विभाग द्वारा यथा अपेक्षित समय-समय पर निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।

10. विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम।—मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा) द्वारा समय-समय पर आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य होगा । परन्तु यह भी, कि यदि विभाग द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित कर किसी अन्य परीक्षा का आयोजन किया जायेगा तो उसमें भी उत्तीर्णता अनिवार्य होगी ।

11. संपुष्टि।—परिवीक्षा की अवधि में लगातार एवं संतोषप्रद सेवा रहने पर तथा यथा आवश्यक विभागीय परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा सेवा संपुष्टि की जा सकेगी ।

12. अवशिष्ट मामले ।—(*i*) राज्य सरकार के अन्य कर्मियों की सेवा शर्तों, अनुशासन, छुट्टी, सुनिश्चित वृति उन्नयन आदि के संबंध में प्रवृत्त सभी नियम, अनुदेश आदि समान रूप से इस संवर्ग के सदस्यों पर भी लागू होंगे ।

(*ii*) इस संवर्ग की वरीयता सूची कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्धारित माप-दण्डों के अनुसार श्रमायुक्त, बिहार, द्वारा तैयार की जायेगी ।

13. कठिनाईयों का निराकरण एवं निर्वचन।—जहाँ इस नियमावली के किसी प्रावधानों में कोई संदेह उत्पन्न होगा, वहाँ इस विषय पर श्रमायुक्त, बिहार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

14. निरसन ।—इस नियमावली के लागू होने के पूर्व इस संवर्ग के प्रसंग में निर्गत सभी संकल्प/ अनुदेश निरसित समझे जाएँगे ।

(सं0 5/आर0एल0-304/08 श्र0सं0-2630)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

व्यास जी,

प्रधान सचिव।